This is a digitally signed gazette, to verify click here.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 18 अप्रैल, 2011 / 28 चैत्र, 1933

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 मार्च, 2011

संख्या : वि0 स0 (विधायन) विधेयक / 1–11 / 2011.––हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2011 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर कर उद्‌गृहीत करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः––

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.––**इस अधिनियम में जब तक कि कोई बात विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो,––

(क) ''सक्षम प्राधिकारी'' से इस अधिनियम की धारा 7 के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) ''ऊर्जा'' से जल विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;

(ग) ''उत्पादन कम्पनी'' से अभिप्रेत है कोई कम्पनी या निगमित निकाय या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो ऊर्जा का उत्पादन करता है;

(घ) ''मीटर'' से ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त साधित्र या यन्त्र अभिप्रेत है;

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''कर'' से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन उदगृहीत कर अभिप्रेत है; और

(छ) ''यूनिट'' से ऊर्जा के सम्बन्ध में किलोवाट– घंटा अभिप्रेत है;

3. **ऊर्जा उत्पादन पर कर का उद्‌ग्रहण.––**(1) हिमाचल प्रदेश राज्य में उत्पादित ऊर्जा पर, ''विद्युत उत्पादन कर'' के नाम से ज्ञात कर, ऊर्जा की प्रति यूनिट पर पच्चीस पैसे की दर से विहित रीति में उद्‌गृहीत किया जाएगा और सरकार को संदत्त किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्पादन स्टेशनों द्वारा उपभुक्त ऊर्जा पर लागू नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से आरम्भ होने वाले मीटरों द्वारा दर्शाए ऊर्जा उत्पादन को हिसाब में लिया जाएगा।

4. कर का संग्रहण और संदाय.––इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर, उत्पादन कम्पनी के किसी अन्य अधिकारी द्वारा जिसे इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, विहित रीति में संगृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।

5. अभिलेख और विवरणियां.––(1) यदि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश दे, तो प्रत्येक उत्पादन कम्पनी जो इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के लिए दायी है, ऐसे अभिलेखों को, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगी जो विहित की जाए, जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा––

(क) उत्पादित या उत्पन्न की गई ऊर्जा की यूनिटें;

(ख) उन पर संदेय कर की रकम;

(ग) इस अधिनियम के अधीन संदत्त कर की रकम; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक उत्पादन कम्पनी जिसे उपधारा (1) के अधीन अभिलेख रखने के लिए निदेश दिया गया है, ऐसी विवरणियों को ऐसे प्ररूप और रीति में और राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगी जैसा विहित किया जाए।

6. निरीक्षण अधिकारी.––(1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख के निरीक्षण के लिए निरीक्षण अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे जैसी विहित की जाएं।

(3) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी भारतीय दण्ड सहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा।

7. कतिपय मामलों में शास्तिक कर और ब्याज का संदाय किया जाना.––(1) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में कोई भी उत्पादन कम्पनी चाहे मिथ्या अभिलेख रखकर, मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करके, उत्पादित ऊर्जा को छिपाकर या किसी अन्य साधन द्वारा कर के संदाय का अपवंचन करती है या अपवंचन करने का प्रयास करती है, तो ऐसी कम्पनी इस अधिनियम के अधीन संदेय कर के अतिरिक्त शास्ति के रूप में कर की राशि के चार गुणा से अनधिक ऐसी रकम संदत्त करेगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए:

परन्तु यदि कम्पनी सक्षम अधिकारी द्वारा अवधारित समय सीमा के भीतर कर और शास्ति का संदाय करने में असफल रहती है तो यह विलम्ब के लिए भारतीय स्टेट बैक की पी.एल.आर की दर पर और ब्याज संदत्त करने के लिए दायी होगी:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई भी कार्रवाई ऐसी कम्पनी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील में पारित आदेश अंतिम और आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन शास्ति या ब्याज के संदाय के लिए किया गया आदेश इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए संस्थित या संस्थित किए जाने वाले किसी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

8. कर की वसूली.—— इस अधिनियम के अधीन कोई कर या धारा 7 के अधीन अधिरोपित शास्ति या ब्याज जो उत्पादन कम्पनी द्वारा राज्य सरकार को असंदत्त रहता है, भू–राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

9. शास्तियां.——यदि कोई उत्पादन कम्पनी,–

(क) जिससे धारा 5 के अधीन अभिलेख रखना या विवरणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है, उन्हें विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहती है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करती है जो मिथ्या है; या

(ख) धारा 6 के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षण अधिकारी को इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्त्तव्यों के पालन में साशय बाधा पहुँचाती है; या

(ग) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी अन्य उपबन्ध का उल्लंघन करती है,

तो यह जुर्माना, जो पांच लाख रूपए से अधिक नहीं होगा और पश्चात्वर्ती किसी उल्लंघन के लिए जुर्माना, जो दस लाख रूपए से अधिक नहीं होगा संदत्त करने के लिए दायी होगी।

10. कर की दर का पुनरीक्षण करने की शक्ति.——राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 3 के अधीन उद्गृहीत कर की दरों को पुनरीक्षित कर सकेगीः

परन्तु कर की ऐसी दरों में भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बिना वृद्धि नहीं की जाएगी।

11. नियम बनाने की शक्ति.——(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे,–

(क) धारा 3 के अधीन कर के संदाय की रीति;

(ख) कर के संग्रहण और राज्य सरकार को उसके संदाय की रीति;

(ग) उत्पादन कम्पनीं द्वारा कर के संदाय का समय और रीति;

(घ) निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्त्तव्य; और

(ङ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए राज्य सरकार की राय में, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम आवश्यक हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर चौदह दिन से अन्यून अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है या विर्निश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम तत्पश्चात् ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिष्चय करती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उनके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के शीघ्र निष्पादन के लिए आवश्यक अतिरिक्त संसाधनों के अभाव में, हमारे विकासात्मक क्रियाकलापों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संम्भाव्य है। इसलिए अतिरिक्त संसाधनों को संचारित करने के लिए राज्य में जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन पर कर उद्गृहीत करना प्रस्तावित किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

प्रेम कुमार धूमल,
मुख्य मन्त्री।

शिमला :

तारीख :....., 2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 3 के अधीन प्रस्तावित कर से लगभग 675 करोड़ रूपए की वार्षिक आय प्राप्त होगी और यह तद्नुसार भविष्य में विद्युत के अधिकतर उत्पादन के लिए अधिकतर होगी। कर की वसूली में लगभग 15.00 लाख रूपए की रकम अनावर्ती और 1.00 लाख रुपए की रकम आवर्ती व्यय के रूप में उपगत किए जाने हेतु अनुमानित है।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 11 उसमें वर्णित विषयों और अन्य विषयों की बाबत जिसके लिए विधेयक के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन से उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन है, नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

(नस्ति संख्याः एम.पी.पी.–सी(4)–1 / 92–IV)

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विद्युत (उत्पादन कराधान) विधेयक, 2011 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करती हैं।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 13 2011

THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (TAXATION ON GENERATION) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to levy tax on the generation of hydro-electric energy in Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-Second Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title extent and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Taxation on Generation) Act, 2011.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context,—

(a) "competent authority" means the authority appointed by the State Government for the purposes of section 7 of this Act;

(b) "energy" means hydro-electric energy;

(c) "generating company" means any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which generates energy;

(d) "meter" means an appliance or apparatus used for measuring the energy;

(e) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(f) "tax" means the tax levied under section 3 of this Act; and "unit" in relation to the energy means Kilowatt-hour.

3. Levy of tax on generation of energy.—(1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy generated in the State of Himachal Pradesh, a tax to be called the "Electricity generation tax" in the prescribed manner, at the rate of 25 paise per unit of energy.

(2) Nothing in sub-section (1) shall apply to the energy consumed at the generating stations for generation of energy.

(3) For the purpose of computing the tax under this section, the generation of energy shown by the meters starting from the date of commencement of this Act shall be taken into account.

4. Collection and payment of tax.—The tax levied under this Act, shall, in the prescribed manner, be collected from generating company by any officer who may be authorized in this behalf and be paid to the State Government.

5. Records returns.—(1) If the State Government so directs by a general or a special order, every generating company which is liable to pay the tax under this Act, shall maintain such records in such form and manner as may be prescribed, showing.—

(a) the units of energy generated or produced;

(b) the amount of tax payable thereon;

(c) the amount of tax paid under this Act; and

(d) such other particulars as may be prescribed.

(2) Every generating company which has been directed under sub-section(1) to maintain records shall submit such returns, in such form and manner, and to such officer of the State Government, as may be prescribed.

6. Inspecting officers.—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint Inspecting Officers to inspect records maintained under section 5.

(2) The Inspecting Officers shall perform such duties and exercise such powers as may be prescribed for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act and the rules made thereunder.

(3) Every Inspecting Officer appointed under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

7. Penal tax to be paid in certain cases.—(1) If in the opinion of the competent authority any generating company evades or attempts to evade the payment of tax, whether by maintaining false records, submitting false returns, concealing the energy generated or by any other means such company shall pay by way of penalty in addition to the tax payable under this Act, a sum not exceeding four times the amount of the tax, to be determined by the competent authority;

Provided that if the company fails to pay tax and penalty within the time frame determined by the competent authority, it shall be further liable to pay interest on account of delay at the rate of PLR of State Bank of India;

Provided further that no action under this sub-section shall be taken without affording a reasonable opportunity of being heard to such a company;

(2) An appeal shall lie against an order passed under sub- section (1) to such authority, within such period and on payment of such fees, as may be prescribed.

(3) An order passed on appeal under sub-section (2) shall be final and binding.

(4) An order for the payment of any penalty made under this action shall be without prejudice to any prosecution instituted or which may be instituted for an offence under this Act.

8. Recovery of tax.—Any tax under this Act or penalty imposed under section 7 which remains unpaid by a generating company to the State Government, shall be recoverable as an arrear of land revenue.

9. Penalties.—If any generating company.—

(a) required by section 5 to keep records or to submit returns fails to keep or submit the same in the prescribed form or manner or submits a return which is false; or

(b) intentionally obstructs an Inspecting Officer appointed under section 6 in the exercise of his powers and duties under this Act and the rules made thereunder; or

(c) contravenes any other provision of this Act or the rules made thereunder, it shall be liable to a fine not exceeding five lakh rupees and for any subsequent contravention, a fine not exceeding ten lakh rupees.

10. Power to revise rate of tax.—The State Government may, by notification, revise the rates of tax levied under section 3; provided that such rates of tax shall not be enhanced without the previous consent of the President of India.

11. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification, make rules for the purposes of carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the fore-going power, such rules may provide for;

(a) the manner of payment of the tax under section 3;

(b) the manner of collection and payment of tax to the State Government;

(c) the time and manner of payment of the tax by the generating company,

(d) the powers and duties to be exercised and performed by Inspecting Officers; and

(e) any other matter for which, in the opinion of the State Government, rules are necessary for giving effect to the provisions of this Act.

(3) every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sessions aforesaid, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the absence of additional resources, necessary for speedy execution of various development programmes, our developmental activities are likely to be adversely affected. Thus in order to mobilize additional resources, it has been proposed to levy a tax on the generation of the hydro-electric energy in this State.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

PREM KUMAR DHUMAL,
Chief Minister.

SHIMLA:
Dated: .....2011.

FINANCIAL MEMORANDUM

The tax proposed under clause 3 of the Bill will yield an income of about Rs. 675 crore annually and would be accordingly be higher for higher generation of power in future. In realizing the tax a sum of about Rs. 15.00 lakhs as non recurring and Rs. 1.00 lakh as recurring expenditure is estimated to be incurred.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 11 of this Bill empowers that State Government to make rules in respect of the matters enumerated therein and other matters for which provision is necessary and expedient for the purpose of giving effect to the provisions of the Bill. This delegation is essential and normal in character.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSITUTUION OF INDIA

(File No. MPP-C (4)-1/92-IV)

The Governor of Himachal Pradesh, after having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Electricity (Taxation on Generation) Bill, 2011, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला–4, 7 मार्च, 2011

संख्या : वि0 स0 (विधायन) विधेयक / 1–9 / 2011.––हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011 (2011 का विधेयक संख्यांक 14) जो आज दिनांक 7 अप्रैल, 2011 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

गोवर्धन सिंह,
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा ।

2011 का विधेयक संख्याक 14

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.––**इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

2. **धारा 32 का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में ''अधिसूचित'' शब्द के स्थान पर "नियत" शब्द रखा जाएगा।

3. **धारा 55 का संशोधन.––**मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

> ''परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन, दो से अधिक बार अपराध करता है, तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा(1) के अधीन शमन के पश्चात् भी यदि व्यक्तिक्रम जारी रहता है, तो विहित प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, स्थानीय पुलिस की सहायता प्राप्त करके परिसर को सील कर सकेगा या सम्बद्ध प्राधिकारी को पर्यटन इकाई का पानी और बिजली का कनेक्शन काटने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा तथा ऐसा प्राधिकारी, ऐसे आदेशों की अनुपालना करने के लिए आबद्ध होगा और अनुपालना की रिपोर्ट विहित प्राधिकारी को देगा''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पर्यटन को एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाक्लाप के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह स्थानीय लोगों के उपार्जन तथा देश के लिए विदेशी मुद्रा उपार्जित करने का मुख्य स्त्रोत है। राज्य में पर्यावरण के कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की विस्तष्त संभावना है, जिससे ये सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप में धारणीय हैं और व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सर्षजित किए जाने से यह राज्य के लोगों के लिए समृद्धि लाने का एक प्रभावशाली साधन बन गया है। पर्यटकों को अपेक्षित सुख–सुविधाएँ और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन स्थानीय लोगों और प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की अपेक्षा करता है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 में, पर्यटन के संवर्धन के लिए सहभागिता व्यवस्था का अभाव है, इसीलिए पर्यटन के संवर्धन तथा हिमाचल को आकर्षक और सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य (स्थल) बनाने हेतु प्राइवेट सेक्टर की बष्हतर सहभागिता प्राप्त करने के लिए पर्यटन विकास बोर्ड का गठन किया गया था।

इस अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध के अधीन सम्बन्धित इकाई ऑपरेटर से प्रस्ताव आने के पश्चात् ही दरों को अधिसूचित किया जाता है। अतः अब यह प्रस्तावित किया गया है कि दरों को, इनका पूर्णतया परीक्षण करवाने के पश्चात् ही विभाग द्वारा नियत किया जा सकेगा। ऑपरेटरों द्वारा उपलब्ध करवाई गई प्रसुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, विभाग को विवेकपूर्ण ढंग से दर नियत करने में यह सहायक होगा। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन इकाईयों का व्यापक स्तर पर आगे आ रही हैं, किन्तु पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन अरजिस्ट्रीकृत इकाई

ऑपरेटरों के लिए कड़े प्रवर्तन का कोई उपबन्ध नहीं है। पर्यटकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए, अरजिस्ट्रीकृत इकाईयों के लिए विनियामक कड़े स्तरों(मानकों) की व्यवस्था करने तथा उन्हें प्रवर्तित करने के लिए एक विधिक विरचना का होना अनिवार्य है। इसलिए, पर्यटन के प्रयोजनों के लिए और सुरक्षा स्तरों की व्यवस्था करने के लिए इकाईयों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता है।

पूर्वोक्त अधिनियम के विद्यमान उपबन्ध केवल शमन और न्यायिक कार्यवाहियों हेतु व्यवस्था करते हैं। यह पाया गया है कि अरजिस्ट्रीकृत ऑपरेटर शमन के पश्चात् और न्यायिक कार्यवाहियों के दौरान भी अपनी इकाईयां चालू रखते है।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि एक ऐसा उपबन्ध किया जाए जो अरजिस्ट्रीकृत इकाईयों के बिजली और पानी के कनेक्शनों को काटने के लिए प्राधिकृत कर सके। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम को उपयुक्त रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(प्रेम कुमार धूमल)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः
तारीख, ..., 2011

———————

वित्तीय ज्ञापन

——शून्य——

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

——शून्य——

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 14 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT AND REGISTRATION (AMENDMENT) BILL, 2011

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

*further to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (**Act No.15 of 2002**).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty second Year of the Republic of India as Follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration (Amendment) Act, 2011.

2. Amendment of section 32.—In section 32 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, in sub- section (1), for the word "notify", the word "fix" shall be substituted.

3. Amendment of section 55.—In section 55 of the principal Act, after sub section(2), the following shall be inserted, namely;-

"Provided that if a person commits an offence under this Act for more than two times, the same shall not be compounded."

(3) Notwithstanding anything contained in this Act, if the default continues after composition under sub section (1), the prescribed authority or the person authorized by the State Government may seal the premises by requisitioning the help of the local police or shall pass orders, in writing to disconnect the water and electricity connection of the tourism unit, to the authority concerned and such authority shall be bound to comply with such orders and shall report compliance to the prescribed authority."

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Tourism is recognized as an important economic activity and is a major source for earning to the local population and foreign exchange earner for the country. Himachal Pradesh has a vast tourism potential on account of environment in the State so that they are culturally and environmentally sustainable and become an effective instrument of bringing prosperity for the people of the State through creating employment opportunities on a vast scale. Tourism requires the participation of local population and private sector to provide the required amenities and services to the tourists. The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, lacks a participatory, mechanism to promote tourism and therefore, Tourism Development Board was set to seek greater participation of private sector in promotion of tourism and marketing Himachal an attractive and safe tourism destination.

Under the existing provision of this Act, rates are only notified after having proposals from the respective unit operator. Therefore now it is proposed that the rates may be fixed by the Department after getting it examined thoroughly. This will help the department to have rate fixation judiciously keeping in view the facilities provided by the operators. Tourism units in Himachal are coming up in a big way but there is no provision for strict enforcement for the unregistered unit operators under the Act ibid. In order to instill the faith of tourists, it is necessary to have a legal frame-work for making and enforcing regulatory strict standards for unregistered units. Thus, there is a need to have compulsory registration of units for tourism purposes and to provide safety standards. The existing provisions of the Act ibid only provides for composition and judicial proceedings. It has been observed the unregistered operators keep on running their units after the composition and even during the judicial proceedings.

Therefore it is proposed that a provision should be made which may authorize to disconnect the electricity and water connections of the unregistered units. Thus, it has been decided to amend the Act ibid suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(PREM KUMAR DHUMAL)

Chief Minister

SHIMLA:

The ……., 2011.

———————

FINANCIAL MEMORANDUM

——NIL——

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

——Nil——

In the Court of Dr. Madhu Chaudhary H.P.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh

Tenzin Dolma daughter of Shri Samdup, r/o T. R. H. C. Middle Bakrota, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) ..*Applicant.*

Versus

General public

Notice under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act.

Whereas Tenzin Dolma daughter of Shri Samdup, r/o T. R. H. C. Middle Bakrota, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of her birth *i. e.* 25-07-1975 for entry in the record of concerned Municipal Council Dalhousie, thereof.

Hence, this notice is issued to the general public that if any one has any objection/claim regarding the registration of date of her birth in the concerned Municipal Council Dalhousie, he may file his claim/objections on or before 23-04-2011 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Municipal Council Dalhousie for registration.

Given today the 23rd March, 2011 under my signature and seal of this Court.

Seal. MADHU CHAUDHARY,
Sub-Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Manoj Kumar, HAS, Marriage Officer-*cum*-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Suresh Kumar, aged 24 years s/o Shri Diwan Chand, r/o Village Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Raj Kumari, aged 19 years d/o Shri Gajjan Ram, r/o Village Janehan, Tappa & Sub-Tehsil Datwal, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001)

Shri Suresh Kumar, aged 24 years s/o Shri Diwan Chand, r/o Village Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.) and Raj Kumari, aged 19 years d/o Shri Gajjan Ram, r/o Village Janehan, Tappa & Sub-Tehsil Datwal, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 28-11-2010 at Shiv Mandir Bijhari, Tehsil Barsar, District Hamirpur, Himachal Pradesh as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-4-2011. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-3-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

MANOJ KUMAR,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

In the Court of Shri Manoj Kumar, HAS, Marriage Officer-*cum*-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Parveen Kumar, aged 24 years s/o Shri Kartar Singh, r/o Village Sammu, P. O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Neha Garg, aged 21 years d/o Shri Rajinder Garg, r/o Village Bahmanikhera, Tehsil & District Palwal (Haryana.) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001)

Shri Parveen Kumar, aged 24 years s/o Shri Kartar Singh, r/o Village Sammu, P. O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.). and Neha Garg, aged 21 years d/o Shri Rajinder Garg, r/o Village Bahmanikhera, Tehsil & District Palwal (Haryana.) have filed an application alongwith affidavits in this court under section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 19-2-2010 at Arya Samaj Mandir, Jama Nagar, Delhi, as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-4-2011. After that no objection will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 29-3-2011 under my hand and seal of the court.

Seal.

MANOJ KUMAR,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

ब अदालत श्री खीमी राम दुग्गल, नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी वार्ड नं0 4, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी वार्ड नं0 4, मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र रितेश ठाकुर का जन्म दिनांक 28–4–1998 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रितेश ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3–5–2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–3–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

खीमी राम दुग्गल,
नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री खीमी राम दुग्गल, नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Thupten Nyima s/o Sh. Jampa Kelsang, निवासी गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Thupten Nyima s/o Sh. Jampa Kelsang, निवासी गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि Thupten Nyima जिसका जन्म दिनांक 10–4–1979 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Thupten Nyima की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3–5–2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–3–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। खीमी राम दुग्गल,
नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री खीमी राम दुग्गल, नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

Tashi Norbu s/o Late Sh. Tsering, निवासी Tibetan Colony Dekyling, Village Samahan, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Tashi Norbu s/o Late Sh. Tsering, निवासी Tibetan Colony Dekyling, Village Samahan तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Tenzin Thuchen का जन्म दिनांक 12–4–1981 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Thuchen की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3–5–2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–3–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। खीमी राम दुग्गल,
नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री खीमी राम दुग्गल, नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

श्री टिकम राम पुत्र श्री नोखु राम, निवासी गांव व डाकघर बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री टिकम राम पुत्र श्री नोखु राम, निवासी गांव व डाकघर बुरूआ, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र वरुण का जन्म दिनांक 4–9–2007 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बुरूआ के रिकार्ड में दर्ज न की गई है। जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वरुण की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 3–5–2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–3–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। खीमी राम दुग्गल,
नायब तहसीलदार (प्रो0) एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्री वीरभद्र पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी मुहाल हलीण, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... प्रत्यार्थी।

उनवान मुकद्दमा.––कागजात माल/राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।

प्रार्थी श्री वीरभद्र पुत्र श्री दुर्गा दास, निवासी मुहाल हलीण, तहसील थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में दिनांक 30–3–2011 को आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी माता का नाम राजस्व रिकार्ड में जानकी देवी दर्ज है जो कि गलत है जबकि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में माघी देवी उर्फ जानकी देवी दर्ज है जो कि सही है। प्रार्थी अपनी माता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही माघी देवी उर्फ

जानकी देवी दर्ज करवाना चाहता है। इसकी पुष्टि हेतु उसने इस अदालत में हल्फनामा, नकल परिवार रजिस्टर भी संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से आम जनता तथा प्रार्थी के सगे–सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना उजर व एतराज 23–4–2011 या इससे पूर्व इस अदालत में हाजिर आकर प्रस्तुत करें अन्यथा इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 30–3–2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
थुनाग, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

————

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 2/2011 Date of Institution : 5-2-2011 Date of decision : Pending for 18-4-2011

Shri Rajinder Singh son of Shri Chain Singh, resident of Village Radopaind, Post Office Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Rajinder Singh son of Shri Chain Singh, resident of Village Radopaind, Post Office Dharampur, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his son Vivek Panwar born on 19-10-2008 at Village Radopaind, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of birth could not registered by the applicant in the Gram Panchayat's birth record, Anji Matla, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of birth of Vivek Panwar son of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 18-4-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 18th March, 2011.

Seal. LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

In the Court of Shri Lalit Sharma, Executive Magistrate (Tehsildar), Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh

Case No. 3/2011 Date of Institution : 5-2-2011 Date of decision : Pending for 18-4-2011

Shri Milkhi Ram son of Shri Dila Ram, resident of Village Basholu Khurd, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public .. *Respondent.*

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Milkhi Ram son of Shri Dila Ram, resident of Village Basholu Khurd, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents that his father named Shri Dila Ram died on 13-3-1986 at Village Basholu Khurd, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh but his date of death could not registered by the applicant in the Gram Panchayat's death record, Rauri, Tehsil Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of date of death of Late Shri Dila Ram son of Shri Shibu and father of the applicant may submit his objection in writing in this court on or before 18-4-2011 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court this 18th March, 2011.

Seal. LALIT SHARMA,
Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, Himachal Pradesh.

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मु0 नं0 / 2011

श्री उधम सिंह पुत्र श्री रलू राम, निवासी जोघों, तहसील नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8 (4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसके बेटे श्री संदीप की शादी दिनांक 23–11–2009 को बिन्दु देवी पुत्री श्री नेक राम, निवासी उच्चा परवाणू, परगना व डाकघर टकसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन के साथ हुई है।

अतः आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री संदीप पुत्र श्री उधम सिंह, निवासी जोघों, परगना गुल्लरवाला, तहसील नालागढ़ व श्रीमती बिन्दू देवी पुत्री श्री नेक राम, निवासी उच्चा परवाणू, परगना व डाकघर टकसाल, तहसील कसौली, जिला सोलन की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत जोघों में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 25–4–2011 को इस कार्यालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 25–4–2011 को उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29–3–2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
नालागढ़, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0), तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व0 श्री सरूप सिंह

बनाम

आम जनता

आवेदन–पत्र अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती ऊषा देवी पत्नी स्व0 श्री सरूप सिंह, वासी गोन्दपुर जयचन्द ने इस न्यायालय में निवेदन किया है कि उसकी पुत्री रेखा रानी का जन्म दिनांक 4–10–2005 को हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 30–4–2011 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है।

यदि उपरोक्त तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त वही द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत गोन्दपुर जयचन्द को आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30–3–2011 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री वरिन्द्र शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

श्री वी0 के0 भारद्वाज बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री वी0 के0 भारद्वाज पुत्र श्री शंकर दास, निवासी बसदेहड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी भतीजी मंजू का जन्म गांव बसदेहड़ा में दिनांक 5–4–1985 को हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 29–4–2011 को सुबह 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन / वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31–3–2011 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वरिन्द्र शर्मा,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, तहसील व जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

————————

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित